

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 88, दिनांक 20-03-2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/ शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का 01 सक्रिय सदस्य कमिश्नरेट आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक: 19-03-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को कमिश्नरेट आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- धनेश मिश्रा पुत्र श्री मुन्नालाल मिश्रा निवासी 51/10^{जी} /15 वेस्ट अर्जुन नगर शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी:-

- 1- 04 अदद लैपटाप मय चार्जर
- 2- 942 कूटरचित अंकपत्र/प्रमाण पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों के
- 3- 104 अंकपत्र/प्रमाण पत्र खाली
- 4- 182 अदद हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका विभिन्न नाम की सभी एक हस्तलेख में लिखी हुई है।
- 5- 12 अदद उत्तर पुस्तिका विभिन्न सीरियल नम्बर की सभी एक हस्तलेख में लिखी हुई है।
- 6- 04 अदद डायरी
- 7- एक अदद फीस रसीद प्राप्ति बुक
- 8- एक अदद लेटर पैड (नोड पैड एजुकेशन प्रा0लि0 अंकित है)
- 9- एक अदद प्रिन्टर
- 10- 06 अदद खाली लिफाफा जिसमें कोरियर से डाक आती है।
- 11- 02 अदद एन्ड्राइड/आईफोन मोबाइल
- 12- एक आधार कार्ड
- 13- एक विजिटिंग कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान/समय -

दिनांक:-19-03-2025 अजीतनगर गेट के पास 59/81बी , अजीत नगर खेरिया मोड़ थाना क्षेत्र शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश व आस पास के राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/प्रमाणपत्र बनाकर आम जनता से लाखों रूपयों की ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर कार्य करने की

सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक: 19-03-2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ लोग हाईस्कूल, इण्टर, डिग्री कालेज व स्नातक, डी0 फार्मा/एमबीए की फर्जी मार्कशीट, बनाकर बेचते हैं, उनमें से एक आदमी अजीतनगर गेट के पास किराये पर दुकान लेकर काम करता है। इस सूचना पर निरीक्षक हुकुम सिंह, उ0नि0 स0पु0 राजपाल सिंह, मु0आरक्षी विमल, मु0आरक्षी कृष्णवीर सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी हरपाल सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर आवश्यक घेराबन्दी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम धनेश मिश्रा नि0 उपरोक्त बताया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने चार विश्वविद्यालयों जिनमें सुभारती यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, सिक्किम ओपन बोर्ड व सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एडमिशन कोड (फ्रेन्चाईजी) ले रखी है। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों से भी उसने आने वाले अभ्यर्थियों से पैसे लेकर शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाकर व मंगवाकर दे देता है। इस काम में दिल्ली, उ0प्र0 झारखण्ड, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, म0प्र0 के कई विश्वविद्यालयों से सेटिंग करके पैसे देकर उनसे शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा कर दे देता है। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते हैं, उन्हें वह स्वयं कूटरचित बनाकर दे देता है। इस काम को वह करीब दो साल से कर रहा है। उसके पास जिन विश्वविद्यालयों की फ्रेन्चाईजी है वे सभी ओपन बोर्ड वाली हैं, किन्तु वह संस्थागत छात्रों के भी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा कर व बना कर दे देता है। एमबीए की फीस 1,80,000/- से 2,40,000/-हजार रुपये बीए/बीकाम/बीएससी-की फीस 25,000 से 40,000/-रुपये हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट के 15,000 से 25,000/-हजार रुपये लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0: 118/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जायेगी